UPLK010118952022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 1387 / 2022

सरकार **बनाम** सुशीला यादव आदि

अ0सं0 15 / 2022
धारा–147,323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–गौतमपल्ली, लखनऊ।

20–02–2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण सुशीला यादव, नील कमल, रूप चन्द्र, गोलू उर्फ रामराज एवं विशाल यादव जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 05–04–2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010118952022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 1387 / 2022

सरकार **बनाम** सुशीला यादव आदि

अ0सं0 15 / 2022
धारा–147,323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–गौतमपल्ली, लखनऊ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार–III, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण सुशीला यादव, नील कमल, रूप चन्द्र, गोलू उर्फ रामराज एवं विशाल यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 14–02–2022 को समय अदम तहरीर थाना गौतमपल्ली जिला लखनऊ सीमान्तर्गत 2 / 190 मार्टिनपुरवा पर वादिनी मुकदमा दीपमाला के विरूद्ध आप लोगों के साथ एक विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और उस जमाव ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया, इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा दीपमाला के पति लक्ष्मण व वादिनी के परिवार के मनीष व सत्यम को मारपीट कर उन्हें साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 / 34 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा दीपमाला के पति लक्ष्मण व वादिनी के परिवार के मनीष व सत्यम को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा दीपमाला के पति लक्ष्मण व वादिनी के परिवार के मनीष व सत्यम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने अनुसूचित जाति वादिनी मुकदमा दीपमाला के पति लक्ष्मण व वादिनी के परिवार के मनीष व सत्यम के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 20–02–2023

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 20–02–2023

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2023.02.20 17:16:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court